

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 48/2024
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
2. हंसराज पुत्र पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।

– वादीगण

बनाम्

1. जमना देवी पत्नी पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
2. रामकुमार पुत्र पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
3. कृष्ण लाल पुत्र पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
4. चावली पुत्री पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
5. सावित्री पुत्री पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
6. संतरो पुत्री पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 07/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 278/268 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि वादीगण के मृतक पिता पोकरराम पुत्र भूराराम के खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पोकरराम पुत्र भूराराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है पोकरराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है पोकरराम पुत्र भूराराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो पोकरराम पुत्र भूराराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण की माता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादीगण वच प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद में परित्याग उक्त वाद

01

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 बहिब काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ननाऊ खाता संख्या 278/268,, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक पोकरराम उर्फ पोखरराम व चित्रप्रति सरपंच ग्राम पंचायत पनीवाली प०स० सादुलशर व वारिसान प्रामण पत्र बहक पोखरराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता पोकरराम उर्फ पोखरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 278/268 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि वादीगण

के मृतक पिता पोकरराम पुत्र भूराराम के खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता पोकरराम उर्फ पोखरराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत पनीवाली प0स0 सादुलशहर की तस्दीक बाबत सदस्य एवं वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा पोकरराम उर्फ पोखरराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननारु तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 278/268 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि वादीगण के मृतक पिता पोकरराम उर्फ पोखरराम पुत्र भूराराम के खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मृतक पोकरराम उर्फ पोखरराम पुत्र भूराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2014 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 48/2024

अनवान : -

1. ओमप्रकाश पुत्र पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
2. हंसराज पुत्र पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।

- वादीगण

बनाम्

1. जमना देवी पत्नी पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
2. रामकुमार पुत्र पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
3. कृष्ण लाल पुत्र पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
4. चावली पुत्री पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
5. सावित्री पुत्री पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
6. संतरो पुत्री पोखर राम जाति कुम्हार निवासी पनीवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 48 सन 2024 निर्णय दिनांक - 07/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननारु तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 278/268 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि वादीगण के मृतक पिता पोकरराम उर्फ पोखरराम पुत्र भूराराम के खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक पोकरराम उर्फ पोखरराम पुत्र भूराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

01
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर